



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित, अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री के अपराधों में लिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.09.21

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मिश्रिख के कुशल नेतृत्व में थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 352/2021 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना संदना, सीतापुर में वांछित अभियुक्त महिपाल पुत्र हींगा नि0 खालेगढी थाना संदना जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त उपरोक्त शातिर अपराधी हैं जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन जैसे अपराध कारित करता है। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- महिपाल पुत्र हींगा नि0 खालेगढी थाना संदना जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना मछरेहटा-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आर0बी0 सुमन
2. हे0का0 विजय प्रताप सिंह
3. हे0का0 अजीत सिंह

आपराधिक इतिहास अभियुक्त महिपाल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 73/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना संदना सीतापुर
2. मु0अ0सं0 169/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना संदना सीतापुर
3. मु0अ0सं0 221/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना संदना सीतापुर
4. मु0अ0सं0 291/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना संदना सीतापुर
5. मु0अ0सं0 352/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना संदना सीतापुर

श्रीना मछरेहटा

कार्यालय
मिलनेकरामवशुजेंकर

Shot on OnePlus
Ely uacra

